

बस्तर जिले के आदिवासी परिवारों में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच, उपयोग एवं लाभ-प्राप्ति की बाधाएँ: सामाजिक कार्य के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन

¹विरेंद्र कुमार खण्डेलवाल

अध्यक्ष यूथ फॉर डभरा

²डॉ. तूलिका शर्मा

विभागाध्यक्ष, समाज कार्य अध्ययनशाला शहीद महेद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर (छ.ग.)

³डॉ समीर ठाकुर

सह-प्राध्यापक, शहीद महेद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर (छ.ग.)

सारांश (Abstract)

सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण संस्थागत माध्यम हैं। तथापि, किसी योजना की उपलब्धता तथा पात्र परिवारों द्वारा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करना अलग-अलग प्रक्रियाएँ हैं। इस अंतर को समझने के लिए केवल प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचना, व्यक्तिगत क्षमताओं, संस्थागत प्रक्रियाओं और समुदाय की भागीदारी का सैद्धांतिक विश्लेषण भी आवश्यक है। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के आदिवासी परिवारों में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच, उनके उपयोग और लाभ-प्राप्ति की बाधाओं को सामाजिक कार्य के प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर समझना है। अध्ययन में अमर्त्य सेन के क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach), हिलेरी सिल्वर के सामाजिक बहिष्करण दृष्टिकोण (Social Exclusion Framework), सशक्तीकरण सिद्धांत (Empowerment Theory) तथा अधिकार-आधारित सामाजिक कार्य दृष्टिकोण (Rights-Based Approach) का उपयोग किया गया है। यह अध्ययन द्वितीयक साहित्य पर आधारित सैद्धांतिक एवं अवधारणात्मक विश्लेषण है। इसमें प्राथमिक सर्वेक्षण अथवा काल्पनिक सांख्यिकीय परिणामों का उपयोग नहीं किया गया है। वैचारिक विश्लेषण से यह तर्क विकसित होता है कि योजनाओं की प्रभावशीलता को पात्रता से लेकर वास्तविक लाभ-प्राप्ति तक की पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में समझना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका केवल जानकारी देने तक सीमित न होकर अधिकारों के प्रति जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, संस्थागत समन्वय और नीतिगत सुधार तक विस्तृत हो सकती है। यह शोधपत्र आदिवासी कल्याण और सामाजिक कार्य के अध्ययन के लिए एक सैद्धांतिक ढाँचा प्रस्तुत करता है, जिसकी बस्तर जिले में व्यावहारिक उपयोगिता भविष्य के अनुभवजन्य शोध द्वारा जाँची जा सकती है।

मुख्य शब्द: आदिवासी समाज, सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ, सामाजिक कार्य, क्षमता दृष्टिकोण, सामाजिक बहिष्करण, सशक्तीकरण, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण, बस्तर।

1. प्रस्तावना (Introduction)

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि सामाजिक विकास केवल आर्थिक वृद्धि से प्राप्त नहीं होता, बल्कि नागरिकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और समान

अवसरों की उपलब्धता भी आवश्यक है। सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ इन आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करने का एक प्रमुख साधन हैं।

भारत में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टें इनसे संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा संस्थागत व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण आधिकारिक स्रोत हैं (Ministry of Tribal Affairs, Government of India, 2024–25)। हालाँकि, योजनाओं का संचालन अपने आप में इस बात की गारंटी नहीं है कि सभी पात्र परिवार उनका लाभ समान रूप से प्राप्त कर पाएँगे।

छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला इस विषय के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संदर्भ प्रस्तुत करता है। बस्तर के आदिवासी परिवारों की सामाजिक परिस्थितियों, आजीविका, स्थानीय भाषा, सामुदायिक संबंधों और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना सरकारी योजनाओं तक पहुँच का समुचित विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इस विषय पर सामान्य धारणाओं के स्थान पर स्थानीय परिस्थितियों का प्रमाण-आधारित अध्ययन आवश्यक है।

किसी कल्याणकारी योजना का वास्तविक उपयोग अनेक चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहले परिवार को योजना की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद उसे अपनी पात्रता समझनी होती है, आवश्यक दस्तावेज जुटाने होते हैं, आवेदन करना होता है और स्वीकृति के बाद वास्तविक लाभ प्राप्त करना होता है। प्रत्येक चरण में व्यक्तिगत क्षमताओं तथा संस्थागत प्रक्रियाओं का प्रभाव पड़ सकता है।

इस समस्या को सामाजिक कार्य के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से समझना उपयोगी है। सेन का क्षमता दृष्टिकोण यह प्रश्न उठाता है कि उपलब्ध संसाधन लोगों की वास्तविक स्वतंत्रताओं और अवसरों में कितना परिवर्तन करते हैं। सामाजिक बहिष्करण का दृष्टिकोण संस्थागत एवं सामाजिक संरचनाओं द्वारा अवसरों तक पहुँच सीमित होने की प्रक्रिया को समझने में सहायता करता है। सशक्तीकरण सिद्धांत समुदाय की निर्णय लेने और सामूहिक कार्रवाई करने की क्षमता पर बल देता है, जबकि अधिकार-आधारित दृष्टिकोण योजनाओं के लाभार्थियों को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के बजाय अधिकारधारी नागरिकों के रूप में देखता है (Sen, 1999; Silver, 1994; Rappaport, 1987; International Federation of Social Workers [IFSW], 2014)।

इसी आधार पर प्रस्तुत शोधपत्र सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच और उनके उपयोग का सैद्धांतिक विश्लेषण करता है तथा सामाजिक कार्य के लिए एक एकीकृत अवधारणात्मक ढाँचा विकसित करने का प्रयास करता है।

2. अध्ययन की समस्या और उद्देश्य

2.1 शोध समस्या

सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धता और पात्र परिवारों द्वारा वास्तविक लाभ प्राप्त करने के बीच संभावित अंतर को सामाजिक कार्य के सिद्धांतों की सहायता से समझना इस शोध की केंद्रीय समस्या है।

यहाँ मुख्य प्रश्न यह है कि सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ, व्यक्तिगत क्षमताएँ, संस्थागत नियम, प्रशासनिक प्रक्रियाएँ, भौगोलिक स्थिति तथा सामुदायिक सहायता किस प्रकार योजनाओं तक पहुँच को प्रभावित कर सकती हैं। इसके साथ ही यह समझना भी आवश्यक है कि सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय संस्थाएँ इन प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ तथा अधिकार-आधारित बनाने में क्या भूमिका निभा सकते हैं।

2.2 अध्ययन के उद्देश्य

1. सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच की अवधारणा का सामाजिक कार्य के सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण करना।
2. क्षमता दृष्टिकोण, सामाजिक बहिष्करण, सशक्तीकरण और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की प्रासंगिकता स्पष्ट करना।
3. व्यक्तिगत, सामाजिक, भौगोलिक और संस्थागत कारकों के बीच वैचारिक संबंधों को समझना।
4. बस्तर जिले के संदर्भ में भविष्य के अनुभवजन्य अध्ययन के लिए एक अवधारणात्मक ढाँचा विकसित करना।
5. योजनाओं की पहुँच और उपयोग सुधारने के लिए सामाजिक कार्य के व्यावहारिक तथा नीतिगत निहितार्थ प्रस्तुत करना।

3. शोध पद्धति (Research Methodology)

यह शोधपत्र सैद्धांतिक एवं अवधारणात्मक शोध (Theoretical and Conceptual Research) की प्रकृति का है। इसमें किसी प्राथमिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण, प्रश्नावली अथवा साक्षात्कार से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण नहीं किया गया है।

अध्ययन की पद्धति में संबंधित सामाजिक सिद्धांतों और अकादमिक साहित्य की व्याख्यात्मक समीक्षा तथा बस्तर जिले के शोध विषय पर उनकी अवधारणात्मक उपयोगिता का विश्लेषण शामिल है। प्रमुख सैद्धांतिक स्रोतों में सेन का क्षमता दृष्टिकोण, सिल्वर का सामाजिक बहिष्करण संबंधी विश्लेषण, रैपापोर्ट का सशक्तीकरण सिद्धांत तथा सामाजिक कार्य के अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से संबंधित साहित्य शामिल है। इन सिद्धांतों का तुलनात्मक उपयोग करते हुए योजनाओं की उपलब्धता, पात्रता, आवेदन, स्वीकृति और वास्तविक लाभ-प्राप्ति के बीच संबंधों को समझने का प्रयास किया गया है।

यहाँ प्रस्तुत तर्क सैद्धांतिक व्याख्याएँ हैं। इन्हें बस्तर जिले में प्रमाणित स्थानीय निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए। इनकी क्षेत्रीय वैधता की जाँच के लिए भविष्य में प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित अध्ययन आवश्यक होगा।

4. प्रमुख अवधारणाओं का सैद्धांतिक आधार

4.1 सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच

सरकारी योजना तक पहुँच का अर्थ केवल यह नहीं है कि कोई योजना उपलब्ध है। इसमें पात्रता की जानकारी, आवेदन करने की क्षमता, संस्थागत प्रक्रिया को समझना, आवेदन की स्थिति जानना और स्वीकृत लाभ प्राप्त करना जैसे परस्पर संबंधित चरण सम्मिलित हैं।

इस संदर्भ में तीन अवधारणाओं के बीच अंतर करना उपयोगी है।

उपलब्धता (Availability): योजना, संबंधित सुविधा या सहायता का संस्थागत रूप से उपलब्ध होना।

पहुँच (Access): पात्र व्यक्ति या परिवार के लिए योजना की जानकारी प्राप्त करने, आवेदन करने तथा आवश्यक संस्थाओं तक पहुँचने की व्यावहारिक संभावना।

वास्तविक लाभ-प्राप्ति (Benefit Realization): निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र परिवार को योजना के अंतर्गत स्वीकृत सहायता का वास्तव में प्राप्त होना।

इन अवधारणाओं के आधार पर यह तर्क दिया जा सकता है कि उपलब्धता से वास्तविक लाभ-प्राप्ति तक पहुँचने के लिए व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों प्रकार की क्षमताएँ आवश्यक होती हैं। योजना के संचालन को सफल मानने से पहले यह देखना चाहिए कि पात्र लोगों के लिए उसका उपयोग व्यवहार में कितना संभव है।

4.2 आदिवासी समुदायों का सामाजिक संदर्भ

आदिवासी समुदायों के सामाजिक विकास को समझते समय उनकी भाषाई, सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सरकारी संस्थाओं के साथ संवाद, स्थानीय भाषाओं में जानकारी की उपलब्धता और समुदाय की भागीदारी इस विश्लेषण के महत्वपूर्ण आयाम हैं।

यह दृष्टिकोण आदिवासी परिवारों की समस्याओं को केवल व्यक्तिगत कमियों के रूप में देखने से बचाता है। इसके स्थान पर यह पूछता है कि संस्थागत व्यवस्थाएँ समुदाय की आवश्यकताओं, ज्ञान और परिस्थितियों के अनुरूप किस सीमा तक कार्य करती हैं।

5. प्रमुख सैद्धांतिक दृष्टिकोण (Theoretical Framework)

5.1 क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach)

अमर्त्य सेन का क्षमता दृष्टिकोण विकास को केवल आय, संसाधनों अथवा भौतिक सुविधाओं में वृद्धि के रूप में नहीं देखता। इसके अनुसार विकास का महत्व इस बात में है कि लोग अपने लिए मूल्यवान जीवन जीने के वास्तविक अवसर और स्वतंत्रताएँ प्राप्त कर पाते हैं या नहीं (Sen, 1999)।

इस दृष्टिकोण में संसाधनों की उपलब्धता और उनका उपयोग करने की वास्तविक क्षमता के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। समान संसाधन अलग-अलग व्यक्तियों को समान परिणाम नहीं देते, क्योंकि उनकी सामाजिक परिस्थितियाँ, कौशल, आवश्यकताएँ और अवसर भिन्न हो सकते हैं।

सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में यह सिद्धांत तीन प्रमुख प्रश्न प्रस्तुत करता है।

पहला, क्या पात्र परिवारों के लिए योजना और उसकी जानकारी उपलब्ध है?

दूसरा, क्या परिवार उपलब्ध जानकारी और सहायता का उपयोग करके आवेदन तथा अन्य आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी कर सकते हैं?

तीसरा, क्या योजना से प्राप्त सहायता परिवार की वास्तविक क्षमताओं और जीवन की परिस्थितियों में सुधार करने का अवसर प्रदान करती है?

उदाहरण के लिए, किसी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होना तभी प्रभावी पहुँच में परिवर्तित होगा जब संबंधित व्यक्ति आवेदन प्रक्रिया समझने, आवश्यक दस्तावेज जुटाने और तकनीकी समस्या आने पर सहायता प्राप्त करने में सक्षम हो। यह एक सैद्धांतिक उदाहरण है; बस्तर जिले में इसकी वास्तविक स्थिति का निर्धारण क्षेत्रीय अनुसंधान द्वारा किया जाना चाहिए।

इस दृष्टिकोण से डिजिटल साक्षरता, भाषा, शिक्षा, संस्थागत मार्गदर्शन और सहायता सेवाओं की उपलब्धता को संभावित conversion factors अर्थात् संसाधनों को वास्तविक अवसरों में बदलने वाले कारकों के रूप में समझा जा सकता है।

अतः क्षमता दृष्टिकोण का प्रमुख योगदान यह है कि वह योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन केवल उपलब्ध संसाधनों से नहीं, बल्कि पात्र परिवारों की वास्तविक स्वतंत्रताओं और अवसरों के आधार पर करने का तर्क प्रस्तुत करता है।

5.2 सामाजिक बहिष्करण का दृष्टिकोण (Social Exclusion Framework)

सामाजिक बहिष्करण का दृष्टिकोण इस बात का अध्ययन करता है कि कुछ व्यक्ति या समूह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अथवा संस्थागत प्रक्रियाओं से किस प्रकार सीमित रूप से जुड़ पाते हैं। सिल्वर (1994) ने सामाजिक बहिष्करण की व्याख्या के लिए तीन सैद्धांतिक प्रतिमानों—एकजुटता, विशेषज्ञता और एकाधिकार—की चर्चा की। ये प्रतिमान सामाजिक संबंधों, संस्थागत व्यवस्थाओं और अवसरों के असमान वितरण को अलग-अलग दृष्टिकोणों से समझने में सहायता करते हैं।

सरकारी योजनाओं के अध्ययन में यह दृष्टिकोण इस प्रश्न को महत्व देता है कि पात्र होने के बावजूद कोई परिवार संस्थागत प्रक्रियाओं में पूरी तरह भाग क्यों नहीं ले पाता।

इस विषय के अंतर्गत संभावित अध्ययन आयाम निम्नलिखित हैं:

- स्थानीय भाषा और प्रशासनिक भाषा के बीच अंतर।
- योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करने के अवसरों में असमानता।
- आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियात्मक शर्तों को पूरा करने में कठिनाई।
- दूरस्थ स्थानों में रहने के कारण सेवाओं तक पहुँचने की लागत।
- संस्थागत निर्णयों, आवेदन की स्थिति और शिकायत निवारण के संबंध में पारदर्शिता।

इन सभी कारकों को बस्तर की प्रमाणित समस्याएँ नहीं माना जाना चाहिए। वे सामाजिक बहिष्करण के दृष्टिकोण के आधार पर जाँचे जा सकने वाले सैद्धांतिक आयाम हैं।

सामाजिक बहिष्करण का दृष्टिकोण यह भी स्पष्ट करता है कि किसी समस्या को केवल व्यक्ति की जानकारी या योग्यता की कमी के रूप में समझना पर्याप्त नहीं है। यदि प्रक्रिया ही जटिल हो, जानकारी सुलभ न हो या संस्थागत सहयोग सीमित हो, तो व्यक्ति के प्रयासों के बावजूद पहुँच बाधित हो सकती है।

इसलिए कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा में समान पात्रता के साथ-साथ वास्तविक पहुँच, प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और संस्थागत जवाबदेही की भी जाँच की जानी चाहिए।

5.3 सशक्तीकरण सिद्धांत (Empowerment Theory)

सशक्तीकरण सिद्धांत व्यक्तियों और समुदायों की अपनी परिस्थितियों को समझने, निर्णय लेने, संसाधनों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने और सामूहिक कार्रवाई करने की क्षमता पर बल देता है।

रैपापोर्ट (1987) ने सशक्तीकरण को सामुदायिक मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया। सामाजिक कार्य में यह दृष्टिकोण व्यक्तियों को केवल सहायता प्राप्त करने वाले लोगों के रूप में देखने के बजाय सक्रिय भागीदारों के रूप में समझने में मदद करता है।

सरकारी योजनाओं के संदर्भ में सशक्तीकरण को तीन स्तरों पर समझा जा सकता है।

व्यक्तिगत स्तर: परिवार के सदस्य योजना की जानकारी समझ सकें, अपनी पात्रता पहचान सकें और आवेदन संबंधी निर्णयों में भाग ले सकें।

सामुदायिक स्तर: समुदाय के सदस्य साझा समस्याओं की पहचान करें, सूचना का आदान-प्रदान करें और सामूहिक रूप से सहायता या समाधान की माँग कर सकें।

संस्थागत स्तर: समुदाय की प्रतिक्रिया और अनुभवों को योजनाओं के कार्यान्वयन तथा सेवा सुधार की प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रक्रिया में मार्गदर्शक, सहयोगी और सामुदायिक समन्वयक की भूमिका निभा सकते हैं। उनका उद्देश्य समुदाय के स्थान पर निर्णय लेना नहीं, बल्कि उसके सदस्यों की जानकारी, सहभागिता और निर्णय क्षमता को मजबूत करना होना चाहिए।

सशक्तीकरण का यह दृष्टिकोण कल्याणकारी सहायता को केवल एकतरफा प्रशासनिक प्रक्रिया मानने के बजाय नागरिक भागीदारी और सामुदायिक क्षमता निर्माण से जोड़ता है।

5.4 अधिकार-आधारित सामाजिक कार्य दृष्टिकोण (Rights-Based Approach)

अधिकार-आधारित दृष्टिकोण सरकारी सहायता को केवल दया, दान या प्रशासनिक सुविधा के रूप में नहीं देखता। यह पात्रता, गरिमा, समान व्यवहार, भागीदारी और जवाबदेही जैसे सिद्धांतों के संदर्भ में कल्याणकारी व्यवस्थाओं की समीक्षा करता है।

International Federation of Social Workers (IFSW, 2014) की सामाजिक कार्य की वैश्विक परिभाषा सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, सामूहिक उत्तरदायित्व, विविधताओं के सम्मान तथा व्यक्तियों और सामाजिक संरचनाओं के साथ कार्य करने को पेशे के केंद्रीय तत्त्वों के रूप में रखती है।

Tarshish और Benish (2025) का अधिकार-आधारित सामाजिक कार्य संबंधी ढाँचा तीन परस्पर जुड़े क्षेत्रों को स्पष्ट करता है: अधिकारों का सम्मान करना, अधिकारों के उपयोग में सहायता करना और अधिकारों की बेहतर सुरक्षा के लिए संस्थागत परिवर्तन को बढ़ावा देना।

बस्तर के अध्ययन विषय पर इस ढाँचे की वैचारिक उपयोगिता निम्नलिखित है।

अधिकारों का सम्मान: लाभार्थियों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार, गोपनीयता, समानता और बिना भेदभाव के संवाद सुनिश्चित करना।

अधिकारों के उपयोग में सहायता: पात्र परिवारों को जानकारी, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और शिकायत निवारण के बारे में मार्गदर्शन देना।

अधिकारों को सक्षम बनाने वाला संस्थागत परिवर्तन: यदि किसी प्रक्रिया में बार-बार समान कठिनाइयाँ सामने आती हैं, तो उन समस्याओं को संस्थागत स्तर पर दर्ज करना और नियमों, सूचना व्यवस्था तथा सेवा वितरण में सुधार की वकालत करना।

यह दृष्टिकोण सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका को व्यक्तिगत सहायता से आगे बढ़ाकर नीति और संस्था के स्तर तक विस्तृत करता है। साथ ही, यह स्पष्ट करता है कि पात्र परिवारों की वास्तविक पहुँच सुनिश्चित करने की मूल संस्थागत जिम्मेदारी संबंधित सरकारी व्यवस्थाओं की भी है।

5.5 पारिस्थितिक एवं प्रणालीगत दृष्टिकोण (Ecological and Systems Perspective)

सामाजिक कार्य में पारिस्थितिक एवं प्रणालीगत दृष्टिकोण व्यक्ति के व्यवहार और परिस्थितियों को उसके सामाजिक तथा संस्थागत परिवेश के साथ जोड़कर देखते हैं। Langer और Lietz (2015) सामाजिक कार्य में विभिन्न सिद्धांतों के उपयोग और व्यक्ति तथा उसके परिवेश के बीच संबंधों की व्याख्या करते हैं।

कल्याणकारी योजनाओं के अध्ययन में यह दृष्टिकोण उपयोगी है क्योंकि लाभ प्राप्ति केवल परिवार की व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए परिवार, समुदाय, स्थानीय प्रशासन, सेवा केंद्र और नीति-स्तर की व्यवस्थाओं के बीच समन्वय भी आवश्यक हो सकता है।

इस आधार पर अध्ययन के पाँच विश्लेषण स्तर निर्धारित किए जा सकते हैं:

1. व्यक्तिगत स्तर: जानकारी, साक्षरता, डिजिटल कौशल और निर्णय क्षमता।
2. पारिवारिक स्तर: दस्तावेजों की उपलब्धता, समय, संसाधन और निर्णय प्रक्रिया।

3. सामुदायिक स्तर: स्थानीय जानकारी, सहयोगी नेटवर्क और सामूहिक भागीदारी।
4. संस्थागत स्तर: आवेदन प्रक्रिया, सेवा केंद्रों की उपलब्धता, पारदर्शिता और शिकायत निवारण।
5. नीतिगत स्तर: पात्रता नियम, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और सेवा वितरण के मानक।

यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत तथा संस्थागत जिम्मेदारियों को अलग-अलग पहचानने में मदद करता है। इससे योजनाओं तक पहुँच की समस्या को केवल लाभार्थी की क्षमता या केवल प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर समझने के बजाय बहुस्तरीय समस्या के रूप में देखा जा सकता है।

6. सैद्धांतिक समन्वय और अवधारणात्मक ढाँचा

उपर्युक्त सिद्धांत अलग-अलग विश्लेषणात्मक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्षमता दृष्टिकोण वास्तविक अवसरों और स्वतंत्रताओं पर केंद्रित है। सामाजिक बहिष्करण का दृष्टिकोण उन संरचनाओं और प्रक्रियाओं की पहचान करता है जो भागीदारी को सीमित कर सकती हैं। सशक्तीकरण सिद्धांत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक एजेंसी पर बल देता है, जबकि अधिकार-आधारित दृष्टिकोण गरिमा, निष्पक्षता और जवाबदेही को महत्व देता है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण इन कारकों के परस्पर संबंधों को समझने में सहायता करता है।

इन सिद्धांतों के समन्वय से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच का निम्नलिखित अवधारणात्मक ढाँचा विकसित किया जा सकता है।

चरण 1: योजना की उपलब्धता

योजना का संस्थागत अस्तित्व, निर्धारित पात्रता और संबंधित सेवा का उपलब्ध होना।

चरण 2: जानकारी एवं समझ

लाभार्थी तक सही जानकारी पहुँचना, पात्रता समझना तथा आवश्यक प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

चरण 3: व्यावहारिक पहुँच

दस्तावेज जुटाने, आवेदन करने, डिजिटल प्रक्रियाएँ पूरी करने और संबंधित सेवा केंद्रों तक पहुँचने की क्षमता।

चरण 4: संस्थागत प्रक्रिया

आवेदन की जाँच, निर्णय, स्थिति की जानकारी, आवश्यक सुधार और शिकायत निवारण।

चरण 5: वास्तविक लाभ-प्राप्ति

स्वीकृत सहायता का पात्र परिवार तक पहुँचना और उसका निर्धारित उद्देश्य के अनुसार उपयोग संभव होना।

चरण 6: मानवीय क्षमताओं और कल्याण पर प्रभाव

यह जाँचना कि सहायता शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, आवास, सामाजिक सुरक्षा अथवा अन्य संबंधित जीवन-परिस्थितियों में किस प्रकार योगदान देती है।

इस ढाँचे में सामाजिक कार्यकर्ताओं, समुदाय और स्थानीय संस्थाओं को विभिन्न चरणों में सहयोगी कारकों के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार, सूचना की अनुपलब्धता, प्रक्रियागत जटिलता, डिजिटल सहायता का अभाव और भौगोलिक दूरी संभावित बाधाओं के रूप में जाँचे जा सकते हैं।

इस अवधारणात्मक मॉडल का महत्व यह है कि यह उपलब्धता और परिणाम के बीच की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। यह किसी पूर्वनिर्धारित परिणाम का दावा नहीं करता, बल्कि भविष्य के क्षेत्रीय अध्ययन के लिए परीक्षण योग्य संबंध प्रस्तुत करता है।

7. सैद्धांतिक चर्चा (Theoretical Discussion)

7.1 उपलब्धता और वास्तविक उपयोग के बीच अंतर

क्षमता दृष्टिकोण के आधार पर यह तर्क दिया जा सकता है कि किसी योजना का अस्तित्व पर्याप्त नहीं होता। योजना तक पहुँचने और उसके लाभ का उपयोग करने की वास्तविक क्षमता भी महत्वपूर्ण है।

सामाजिक बहिष्करण का दृष्टिकोण इस अंतर को संस्थागत तथा सामाजिक संरचनाओं से जोड़ता है। यदि आवेदन की प्रक्रिया लाभार्थियों के लिए समझना कठिन हो, तो समान पात्रता के बावजूद वास्तविक उपयोग की परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं।

इसलिए योजनाओं के मूल्यांकन में केवल लाभार्थियों की संख्या या स्वीकृत आवेदनों की संख्या पर्याप्त संकेतक नहीं हो सकते। पात्रता, आवेदन में सहायता, अस्वीकृति के कारण, लंबित मामलों और वास्तविक लाभ-प्राप्ति को भी अलग-अलग समझना आवश्यक है।

7.2 डिजिटल प्रक्रियाएँ और क्षमता संबंधी कारक

डिजिटल सेवाएँ जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने की क्षमता रखती हैं। लेकिन किसी सेवा को ऑनलाइन उपलब्ध करा देना तथा उसे सभी पात्र लोगों के लिए उपयोग योग्य बनाना दो अलग-अलग बातें हैं।

क्षमता दृष्टिकोण इस प्रश्न को सामने लाता है कि लाभार्थी के पास ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरा करने के वास्तविक साधन और कौशल हैं या नहीं। पारिस्थितिक दृष्टिकोण इसमें परिवार, समुदाय तथा सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं की भूमिका भी जोड़ता है।

इसलिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते समय वैकल्पिक मार्गदर्शन, स्थानीय स्तर पर सहायता और सरल सूचना सामग्री जैसे उपायों की उपयोगिता का अध्ययन किया जाना चाहिए। उनका वास्तविक प्रभाव क्षेत्रीय आँकड़ों से जाँचना आवश्यक है।

7.3 सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका और सामुदायिक एजेंसी

सशक्तीकरण सिद्धांत और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के संयुक्त उपयोग से सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका को अधिक व्यापक रूप में समझा जा सकता है।

सामाजिक कार्यकर्ता योजनाओं की जानकारी दे सकते हैं, प्रक्रिया समझने में सहायता कर सकते हैं और पात्र परिवारों को संबंधित विभागों से जोड़ सकते हैं। इसके साथ ही, उन्हें समुदाय के अनुभवों को सुनने, सामूहिक समस्याओं को पहचानने और आवश्यक सुधारों के लिए संस्थागत संवाद को प्रोत्साहित करने की भूमिका भी निभानी चाहिए।

यह भूमिका तभी सशक्तीकरण के अनुरूप होगी जब समुदाय के सदस्यों की भागीदारी और निर्णय क्षमता को प्राथमिकता दी जाए। समुदाय को निष्क्रिय लाभार्थी मानने के बजाय उसकी स्थानीय जानकारी और अनुभवों को महत्व देना आवश्यक है।

7.4 जवाबदेही और संस्थागत सुधार

अधिकार-आधारित दृष्टिकोण योजनाओं की पहुँच को केवल लाभार्थी की जिम्मेदारी नहीं मानता। संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, निर्णय और शिकायत निवारण के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएँ।

यदि भविष्य के क्षेत्रीय अध्ययन में समान प्रकार की प्रक्रियागत कठिनाइयाँ बार-बार सामने आती हैं, तो सामाजिक कार्यकर्ता और शोधकर्ता उन्हें दस्तावेजीकृत करके सुधार के लिए सुझाव दे सकते हैं। इन सुझावों का आधार अनुमान नहीं, बल्कि व्यवस्थित प्रमाण होना चाहिए।

इस प्रकार सामाजिक कार्य की भूमिका व्यक्तिगत सहायता, सामुदायिक सहभागिता और नीतिगत सुधार के बीच संबंध स्थापित करने में हो सकती है।

7.5 सांस्कृतिक संदर्भ और स्थानीय ज्ञान

आदिवासी समुदायों के संदर्भ में सामाजिक कार्य की प्रभावशीलता स्थानीय भाषा, सांस्कृतिक विविधता और समुदाय के अपने ज्ञान का सम्मान करने पर भी निर्भर करती है। IFSW की वैश्विक परिभाषा सामाजिक कार्य में विविधता के सम्मान और स्वदेशी ज्ञान के महत्त्व को स्वीकार करती है (IFSW, 2014)।

इस दृष्टिकोण से योजना संबंधी जानकारी तैयार करते समय स्थानीय भाषा तथा समुदाय के लिए समझने योग्य प्रारूपों पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही, समाधान निर्धारित करते समय समुदाय के सदस्यों को भागीदार बनाया जाना चाहिए।

हालाँकि, स्थानीय ज्ञान के प्रति सम्मान का अर्थ यह नहीं है कि संस्थागत सेवाओं की जिम्मेदारी समुदाय पर डाल दी जाए। उद्देश्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप ऐसी व्यवस्था बनाना है, जिसमें सांस्कृतिक सम्मान, समान अधिकार और प्रभावी सेवा वितरण एक-दूसरे के पूरक हों।

8. सैद्धांतिक प्रस्ताव (Theoretical Propositions)

इस शोधपत्र में विकसित अवधारणात्मक ढाँचे के आधार पर निम्नलिखित सैद्धांतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं।

प्रस्ताव 1: सरकारी योजनाओं की संस्थागत उपलब्धता वास्तविक लाभ-प्राप्ति के बराबर नहीं है; इनके बीच जानकारी, पात्रता की समझ, व्यावहारिक क्षमता और प्रशासनिक प्रक्रियाएँ मध्यस्थ भूमिका निभा सकती हैं।

प्रस्ताव 2: यदि पात्र परिवारों की व्यक्तिगत क्षमताओं और संस्थागत आवश्यकताओं के बीच अधिक अंतर है, तो योजनाओं के प्रभावी उपयोग में बाधाएँ उत्पन्न होने की संभावना का अध्ययन किया जाना चाहिए।

प्रस्ताव 3: सामाजिक बहिष्करण से संबंधित संरचनात्मक और प्रक्रियागत कारक योजनाओं तक पहुँच की समानता को प्रभावित कर सकते हैं।

प्रस्ताव 4: समुदाय की भागीदारी, सूचना तक पहुँच और सामूहिक निर्णय क्षमता को प्रोत्साहित करने वाले सामाजिक कार्य हस्तक्षेप सशक्तीकरण के अवसर बढ़ा सकते हैं।

प्रस्ताव 5: पारदर्शिता, शिकायत निवारण और संस्थागत जवाबदेही को मजबूत करने वाले उपाय पात्र परिवारों के अधिकारों के उपयोग को सक्षम बनाने में योगदान दे सकते हैं।

ये सैद्धांतिक प्रस्ताव हैं, अनुभवजन्य रूप से सिद्ध निष्कर्ष नहीं। भविष्य में बस्तर जिले में किए जाने वाले क्षेत्रीय अध्ययन द्वारा इनकी वैधता और सीमाओं की जाँच की जा सकती है।

9. सामाजिक कार्य के लिए निहितार्थ (Implications for Social Work)

प्रस्तुत सैद्धांतिक विश्लेषण सामाजिक कार्य के लिए तीन प्रमुख स्तरों पर उपयोगी हो सकता है।

9.1 सूक्ष्म स्तर (Micro Level)

इस स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तिगत परिवारों को योजना संबंधी जानकारी, पात्रता की समझ, दस्तावेजों की तैयारी और आवेदन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। सहायता का उद्देश्य परिवार को प्रक्रिया समझने और भविष्य में अधिक स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाना होना चाहिए।

9.2 सामुदायिक स्तर (Mezzo Level)

सामुदायिक स्तर पर स्थानीय जागरूकता कार्यक्रम, सहायता शिविर, सामुदायिक चर्चा और स्थानीय संस्थाओं के साथ समन्वय विकसित किया जा सकता है। समुदाय की भागीदारी से जरूरतों की पहचान और सहायता की प्रक्रिया को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जा सकता है।

9.3 नीतिगत स्तर (Macro Level)

नीतिगत स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता तथा शोधकर्ता योजनाओं तक पहुँच से संबंधित समस्याओं का प्रमाण-आधारित दस्तावेजीकरण कर सकते हैं। उनके निष्कर्ष आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, सूचना को अधिक सुलभ करने, सहायता सेवाओं में सुधार और शिकायत निवारण को मजबूत करने में योगदान दे सकते हैं। इन तीनों स्तरों के बीच समन्वय आवश्यक है। केवल व्यक्तिगत परामर्श से संरचनात्मक कठिनाइयाँ दूर नहीं हो सकतीं, और केवल नीतिगत बदलाव से भी प्रत्येक परिवार की वास्तविक सहायता आवश्यकता पूरी होना सुनिश्चित नहीं होता।

10. व्यावहारिक एवं नीतिगत सुझाव

सैद्धांतिक विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं:

1. सूचना की सुलभता: योजनाओं की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराई जाए।
2. प्रक्रियागत सहायता: पात्र परिवारों को आवेदन करने, त्रुटियों में सुधार करने और आवेदन की स्थिति जानने में आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।
3. डिजिटल समावेशन: ऑनलाइन सेवाओं के साथ उपयुक्त तकनीकी सहायता तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप सूचना और मार्गदर्शन की व्यवस्था पर विचार किया जाए।
4. सामुदायिक भागीदारी: योजनाओं की समीक्षा और सेवा सुधार में समुदाय के अनुभवों को स्थान दिया जाए।
5. संस्थागत जवाबदेही: आवेदन की स्थिति, निर्णयों के कारण और शिकायत निवारण की प्रक्रिया को पारदर्शी तथा समझने योग्य बनाया जाए।
6. सामाजिक कार्य समन्वय: सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्थानीय निकायों और संबंधित विभागों के बीच समन्वित सहायता व्यवस्था विकसित की जाए।
7. परिणाम-आधारित मूल्यांकन: योजनाओं की समीक्षा में उपलब्धता और आवेदन संख्या के साथ पात्रता, वास्तविक लाभ-प्राप्ति, प्रक्रिया में लगने वाले समय और लाभार्थियों के अनुभवों पर भी विचार किया जाए। इन सुझावों को नीति या कार्यक्रम में लागू करने से पहले संबंधित योजनाओं के वर्तमान दिशा-निर्देशों, प्रशासनिक जिम्मेदारियों और स्थानीय आवश्यकताओं के संदर्भ में जाँचना चाहिए।

11. अध्ययन की सीमाएँ (Limitations)

यह शोधपत्र सैद्धांतिक एवं अवधारणात्मक विश्लेषण पर आधारित है। इसमें बस्तर जिले के आदिवासी परिवारों से प्राथमिक आँकड़े एकत्र नहीं किए गए हैं। इसलिए किसी विशिष्ट बाधा की व्यापकता, योजनाओं की लाभ-प्राप्ति की दर अथवा सामाजिक कार्य हस्तक्षेपों के वास्तविक प्रभाव के बारे में निश्चित निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं किए जा सकते।

सामाजिक सिद्धांत व्यापक विश्लेषणात्मक ढाँचा प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता प्रत्येक स्थानीय संदर्भ में समान नहीं मानी जा सकती। बस्तर की सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक और भौगोलिक परिस्थितियों को समझने के लिए स्थानीय साहित्य, सरकारी दस्तावेज और क्षेत्रीय अध्ययन आवश्यक हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत अवधारणात्मक ढाँचा विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषणात्मक समन्वय है। इसकी प्रभावशीलता को स्वतंत्र अनुभवजन्य अध्ययन द्वारा जाँचना आवश्यक होगा। भविष्य के शोध में योजना-विशिष्ट अध्ययन, परिवारों के साक्षात्कार, प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से इस ढाँचे को परखा जा सकता है।

12. निष्कर्ष (Conclusion)

बस्तर जिले के आदिवासी परिवारों में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँच और वास्तविक लाभ-प्राप्ति का अध्ययन सामाजिक कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक विषय है। योजनाओं के प्रभावी उपयोग को समझने के लिए उनकी संस्थागत उपलब्धता के साथ व्यक्तिगत क्षमताओं, सामाजिक संबंधों, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और जवाबदेही की व्यवस्थाओं को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

सेन का क्षमता दृष्टिकोण वास्तविक अवसरों और स्वतंत्रताओं पर बल देता है। सामाजिक बहिष्करण का दृष्टिकोण सामाजिक एवं संस्थागत संरचनाओं के प्रभाव को उजागर करता है। सशक्तीकरण सिद्धांत व्यक्तिगत और सामुदायिक भागीदारी की भूमिका स्पष्ट करता है, जबकि अधिकार-आधारित दृष्टिकोण गरिमा, समानता और जवाबदेही को केंद्र में रखता है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण इन सभी कारकों के बीच संबंधों को समझने में सहायता करता है।

इन सिद्धांतों का संयुक्त उपयोग योजनाओं तक पहुँच को बहुस्तरीय प्रक्रिया के रूप में समझने का आधार प्रदान करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पात्रता से वास्तविक लाभ-प्राप्ति तक पहुँचने के लिए सूचना, व्यावहारिक सहायता, सरल प्रक्रियाएँ और संस्थागत सहयोग पर विचार करना आवश्यक है।

सामाजिक कार्य की प्रभावी भूमिका व्यक्तिगत मार्गदर्शन से आगे बढ़कर सामुदायिक सशक्तीकरण, संस्थागत समन्वय और प्रमाण-आधारित नीतिगत सुधार तक विस्तृत हो सकती है। साथ ही, समुदाय के स्थानीय ज्ञान और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना आवश्यक है।

अंततः, इस शोधपत्र का मुख्य योगदान सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की पहुँच और उपयोग के विश्लेषण के लिए एक सैद्धांतिक ढाँचा प्रस्तुत करना है। इसे बस्तर जिले के संदर्भ में प्रमाणित करने के लिए भविष्य में क्षेत्रीय शोध, योजनाओं के दिशा-निर्देशों की समीक्षा और वास्तविक लाभ-प्राप्ति से संबंधित आँकड़ों का अध्ययन आवश्यक होगा।

13. संदर्भ सूची (References)

1. International Federation of Social Workers. (2014). Global definition of social work. <https://www.ifsw.org/global-definition-of-social-work/>
2. Langer, C. L., & Lietz, C. A. (2015). Applying theory to generalist social work practice: A case study approach. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781394258888>
3. Ministry of Tribal Affairs, Government of India. (2024–25). Annual report 2024–2025. <https://tribal.nic.in/knowledgeHub.aspx>
4. Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. American Journal of Community Psychology, 15(2), 121–148. <https://doi.org/10.1007/BF00919275>

5. Sen, A. (1999). Development as freedom. Alfred A. Knopf.
6. Silver, H. (1994). Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. *International Labour Review*, 133(5–6), 531–578.
7. Tarshish, N., & Benish, A. (2025). The three spheres of rights-based practice in social work: Respecting, claiming, and changing. *Clinical Social Work Journal*.
<https://doi.org/10.1007/s10615-025-00998-7>